विलोपित विलोपित

न्यायालय : राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर (म0 प्र0)

निगरानी प्रकरण कमांक– सन्–2017

R-1341-I-17

1 – प्रकाश कुमार आयु 57 बर्ष तनय स्व0 श्री दुर्गा प्रसाद बरानियाँ
2 – मुस0 मालती आयु 84 बर्ष बेवा स्व0 श्री दुर्गा प्रसाद बरानियाँ
दोनों निवासी वार्ड नं0 5 लवकुशनगर तहसील लवकुशनगर
जिला छतरपुर (म0 प्र0) ....निगरानीकर्तागण / आवेदकगण

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

बनाम

1 – शासन म0 प्र0
2 – दीपक कुमार आयु 40 बर्ष तनय श्री शंकरलाल बरानियाँ
3 – सुधीर कुमार आयु 38 बर्ष तनय श्री शंकरलाल बरानियाँ
दोनों निवासी वार्ड नं0 11 लवकुशनगर तहसील लवकुशनगर जिला
छतरपुर (म0 प्र0) ....गैर निगरानीकर्तागण / अनावेदकगण

(Lakhan Singh Bhadauria) 08.05.17

निगरानी अंतर्गत धारा–50 म0 प्र0 भूरा0 संहिता–1959 निगरानी विरूद्व आदेश न्यायालय तहसीलदार तहसील लवकुशनगर जिला छतरपुर (म0 प्र0) के प्रकरण कमांक 20 / अ–3 / 13–14 में तहसीलदार महोदय लवकुशमगर द्वारा पारित आदेश दिनांक–9 / 3 / 2017 से परिवेदित होकर।

महोदय,

सेवा में आवेदकगण / निगरानीकर्तागण की ओर से निम्नलिखित विनय सादर प्रस्तुत है।

(क) – यह कि प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि आराजी खसरा नम्बर–2567 / 2 रकवा–2.638 हे0 लगान–21.75 रू0 स्थित ग्राम लवकुशनगर रा0 नि0 मं0 लवकुशनगर तहसील लवकुशनगर जिला छतरपुर (म0 प्र0) आवेदकगण की भूमिस्वामी स्वत्व एवं आधिपत्य की भूमि है जो आवेदकगण केनाम पर राजस्व अभिलेखों में भूमिस्वामी स्वत्व एवं आधिपत्य के रूप में दर्ज है। जो आवेदकगण को बंटवारा में प्राप्त हुई थी।

प्रकाश कुमार बरानियाँ
मालती बाई

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 1341–एक / 2017 जिला छतरपुर

प्रकाश कुमार आदि विरूद्ध म0प्र0 शासन आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
21-02-2019	आवेदक की ओर से श्री लखन सिंह धाकड़ अभिभाषक उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार लवकुशनगर जिला छतरपुर के नक्शा तरमीम प्रकरण कमांक 20/अ–3/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 9–3–2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25–9–2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। पक्षकार दिनांक 15–4–2019 को कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। सदस्य 21.02.2019	